न्यायालय– मृणाल मोहित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला– जबलपुर (म.प्र.)

1. Registration No.	RCT/6075/2020
2. Filing No.	RCT/23306/2020
3. CNR No.	MP20010298242020
4. Filing Date	19-11-2020

आरक्षी केन्द्र ओमती, जिला जबलपुर म0प्र0 के अपराध क्रमांक 255/2020 अंतर्गत धारा– 507 भा.दं.सं से उदभूत प्रकरण।

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ओमती, जिला– जबलपुर म.प्र.

..............................अभियोगी

(प्रतिनिधित्व द्वारा श्री जयवीर सिंह यादव, ए.डी.पी.ओ.)

विरूद्ध

1. आकाश उर्फ आयुष सोनकर पिता धर्मेन्द्र सोनकर, उम्र– 24 वर्ष, निवासी– छोटी खेरमाई, भततीपुर, थाना– ओमती, जिला– जबलपुर म0प्र0।
2. तनु उर्फ अमन सोनकर पिता दिलीप सोनकर, उम्र– 23 वर्ष, निवासी– छोटी खेरमाई, भततीपुर, थाना– ओमती, जिला– जबलपुर म0प्र0।

................................अभियुक्त

(प्रतिनिधित्व द्वारा श्री शुभम गुप्ता अधिवक्ता)

अपराध की तारीख	22.08.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	24.08.2020
अभियोग पत्र की तारीख	19.11.2020
आरोपों के विरचना की तारीख	08.06.2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	29.08.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	07.12.2024
निर्णय की तारीख	07.12.2024
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	दोषमुक्त

07.12.24
(मृणाल मोहित)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रे
जबलपुर (म.प्र.)

<u>अभियुक्त का विवरण</u>

<table>
<tr><th>अभियुक्त की श्रेणी</th><th>अभियुक्त का नाम</th><th>गिरफ्तारी की तारीख</th><th>जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख</th><th>अपराध जिनका आरोप है</th><th>दोषमुक्ति या दण्डादेश</th><th>अधिरोपित दण्डादेश</th><th>धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि</th></tr>
<tr><td>—</td><td>आकाश उर्फ आयुष</td><td rowspan="2">दिनांक 24.08.2020 को धारा 41—क दं0प्र0स0 का नोटिस देकर छोड़ा गया।</td><td rowspan="2">निरंक</td><td rowspan="2">धारा—507 भादवि</td><td>दोषमुक्त</td><td>दोषमुक्त</td><td>—</td></tr>
<tr><td>—</td><td>तनु उर्फ अमन सोनकर</td><td>दोषमुक्त</td><td>दोषमुक्त</td><td>—</td></tr>
</table>

<u>अभियोजन साक्षियों की सूची</u>

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
अ.सा.— 01	सिद्धार्थ सोनकर	फरियादी

<u>अभियोजन प्रदर्शों की सूची</u>

श्रेणी	**विवरण**
प्रदर्श.पी.— 01 / अ.सा.— 01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
प्रदर्श पी.— 02 / अ.सा.— 01	नक्शा मौका
प्रदर्श पी.— 03 / अ.सा.— 01	साक्षी सिद्धार्थ सोकनर के पुलिस कथन

<u>निर्णय</u>
<u>(आज दिनांक — 07.12.2024 को घोषित)</u>

01. अभियुक्तगण पर भा.द.सं. 1860 की धारा 507 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 22.08.2020 को समय 02:00 बजे स्थान 193, बड़ी ओमती, पेशकारी स्कूल के सामने प्रार्थी सिद्धार्थ सोनकर को मोबाईल पर मोबाईल नंबर 7000622155 द्वारा चाकू से मारने, जान से मारने, गोली मारने, बम से उड़ाने की धमक देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि,

07.12.24
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर (म.प्र.)

फरियादी द्वारा लिखित आवेदन इस आशय का दिया गया कि दिनांक 22.08.2020 रात्रि 02:00 बजे 700622155 पर एक काल आया जिसमें उसे चाकू मारने, जान से मारने, गोली मारने, बम से उड़ाने की धमकी दी, जिसे उसने मोबाईल पर रिकार्ड कर लिया है, एवं बोला कि घर के बाहर बैठा मिला तो गाली से उड़ा दिया जायेगा सभी धमकी उसके मोबाईल पर रिकार्ड हैं एवं बार बार ओमती बुलाने की धमकी भी दे रहा था। धमकी देने वाले आकाश सोनकर एवं तनु सोनकर हैं। उक्त घटना की सूचना पर से पुलिस थाना ओमती में अपराध क्रमांक 255/20 अंतर्गत धारा 507 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर अन्वेषण प्रारंभ किया गया जिसके पश्चात् घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। साक्षियों के धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत कथन लेखबद्ध किये गये। अनुसंधान की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र, संज्ञान एवं विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

03. अभियुक्तगण को कण्डिका–1 अनुसार आरोप पत्र पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उन्होंने आरोपित अपराध अस्वीकार किया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई तथ्य न आने से धारा 313 दप्रसं. के अंतर्गत उसका परीक्षण नहीं किया गया है।

<u>04. प्रकरण में विचारणीय बिंदू यह है कि–</u>

अ. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 22.08.2020 को समय 02:00 बजे स्थान 193, बड़ी ओमती, पेशकारी स्कूल के सामने प्रार्थी सिद्धार्थ सोनकर को मोबाईल पर मोबाईल नंबर 7000622155 द्वारा चाकू से मारने, जान से मारने, गोली मारने, बम से उड़ाने की धमक देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

07.12.24
(मृणाल ...)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
जबलपुर (म.प्र.)

सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न कमांक अ–

05. प्रकरण के विचारणीय बिंदु को प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर था, इस संबंध में अभियोजन द्वारा फरियादी सिद्धार्थ सोनकर अ.सा.– 1 के कथन कराये है। फरियादी साक्षी द्वारा अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी द्वारा इस तथ्य से स्पष्ट इंकार किया है कि दिनांक 22.08.2020 समय रात्रि करीब 02:00 बजे मोबाईल 7000622155 से फोन पर उसे चाकू मारने, जान से मारने, गोली मारने एवं बम से उड़ाने की धमकी दी थी। साक्षी ने स्वतः बताया कि उसकी सामान्य बातचीत हुई थी। उक्त उसके द्वारा लेखबद्ध करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 का बी से बी एवं पुलिस कथन प्रदर्श पी 03 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस कथन का उक्त भाग पुलिस को दिए जाने से इंकार किया है। फरियादी सिद्धार्थ सोनकर अ.सा.–1 ही घटना के मुख्य साक्षी हैं तथा उन्होंने धारा– 507 भादसं के अपराध के संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से किसी प्रकार के कोई कथन नहीं किये हैं। अतः अभियुक्तगण की उपरोक्त परिस्थितियों में धारा– 507 भादसं के अपराध के संबंध में जो साक्ष्य अभियोजन द्वारा पेश किए गए हैं उनके आधार पर दोषसिद्ध नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अभियोजन को फरियादी सिद्धार्थ सोनकर अ.सा.–1 के साक्ष्य से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता।

06. इस प्रकार अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 22.08.2020 को समय 02:00 बजे स्थान 193, बड़ी ओमती, पेशकारी स्कूल के सामने प्रार्थी सिद्धार्थ सोनकर को मोबाईल पर मोबाईल नंबर 7000622155 द्वारा चाकू से मारने, जान से मारने, गोली मारने, बम से उड़ाने की धमक देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

09. फलतः अभियुक्तगण **आकाश उर्फ आयुष सोनकर पिता धर्मेन्द्र सोनकर एवं तनु**

07-12-24
(मृणाल माहत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर (म.प्र.)

<u>उर्फ अमन सोनकर पिता दिलीप सोनकर</u> को भा.द.सं. की धारा– 507 के आरोप से **दोषमुक्त** कर स्वतंत्र किया जाता है।

10. अभियुक्तगण का धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जाए।

11. अभियुक्तगण के पूर्व के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

12. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति मोबाईल Vivo V15 IMIE NO-866745048971298 तथा उस पर लगी मोबाईल सिजिसका नं. 7000622155 सुपुर्ददार धर्मेन्द्र सोनकर को सुपुर्दगी पर पूर्व में दी गई है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील ना होने की दशा में सुपुर्दगीदार धर्मेन्द्र सोनकर के पक्ष में उन्मोचित समझा जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए।

आज दिनांक 07.12.2024 को निर्णय खुले न्यायालय में घोषित किया गया।
इस निर्णय में कुल 05 हस्ताक्षरित पृष्ठ हैं।

स्थान – जबलपुर (म.प्र.)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर (म.प्र.)

07.12.24
(मृणाल मोहित)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जिला जबलपुर म.प्र

MRINAL MOHIT
Digitally signed by MRINAL MOHIT
Date: 2024.12.07 16:50:44 +0530